

आवेदन पत्र के संबंध में जांच की गई है। रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 के अनुसार जांच की गई है।
 ग्राम गिती बास के जमाबंदी सन्वत् 2075-78 के अनुसार जांच की गई है।
 मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरांवा की जाती है।
 दिनांक :- 2-11-2021

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिरांवा की जाती है।

2-11-21
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनुं (राज.) :- आदेश :-

दिनांक :- 2-11-21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रायली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 138 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सन्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	गिती बास	2075-78	158	निवात पु माना	शमनिवात पु महलाकाम

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 2-11-21

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 723-24
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी